

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला-जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2021/86

—: प्रार्थीगण :-

बनाम

—: अप्रार्थी :-

1. शिवरी पत्नी जेताराम
2. दशरथ पुत्र जेताराम
3. दीपक उर्फ दीपेन्द्र पुत्र जेताराम
4. हड़मानराम उर्फ हनुमानराम पुत्र
मांगीलाल
जातियान माली निवासी हिंगोली
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—: निर्णय :-


दिनांक:-02/07/2021

प्रार्थीगण शिवरी वगैरह द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि डीआईएलआरएमपी के तहत ग्राम सुखलावनगर पटवार हल्का हिंगोली के खाता संख्या 101 जिसके खसरा नं. 804/2 रकबा 0.1174 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, एवं खाता संख्या 103 जिसके खसरा नं. 803 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी की तरमीम हल्का पटवारी द्वारा गलत दर्ज कर दी गयी है, साथ ही प्रार्थी द्वारा गलत तरमीम व प्रस्तावित सही तरमीम का नजरी नक्शा पेश कर सही स्थिति अनुसार तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार भोपालगढ़ से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में संलग्न पटवारी पटवार मण्डल हिंगोली एवं भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी राणावतां की रिपोर्ट के आधार पर एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की अनुशंसा की गयी।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज तथा तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा की गयी तरमीम दुरुस्ती की अनुशंसा के आधार पर तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश देना हम उचित समझते हैं।


अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान-भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी पटवार मण्डल हिंगोली एवं भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी राणावतां की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा के आधार पर एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार तहसीलदार भोपालगढ़ को खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी पटवार मण्डल हिंगोली, भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी राणावतां की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ का जवाब प्रार्थनापत्र निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
एवं प्रार्थनापत्र अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला-जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
एवं प्रार्थनापत्र अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला-जोधपुर (राज.)

